

न्यायालय:-व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 बैहर के अतिरिक्त व्यवहार
न्यायाधीश वर्ग-2, बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.)
(पीठासीन अधिकारी:-सिराज अली)

व्य.वाद कं.-64ए/2014
 प्रस्तुति दिनांक-19.06.2014

1-राजेश पिता बाडूसिंह, उम्र 42 वर्ष, जाति गोंड,
 निवासी-ग्राम चीनी, तहसील परसवाड़ा, जिला बालाघाट(म.प्र.)

2-श्यामकुंवर बाई तिपा बाडूसिंह, उम्र 35 वर्ष, जाति गोंड,
 निवासी-ग्राम कटंगा, तहसील परसवाड़ा, जिला बालाघाट(म.प्र.)

3-पुष्पाबाई पिता बाडूसिंह, उम्र 38 वर्ष, जाति गोंड,
 निवासी-ग्राम चीनी, तहसील परसवाड़ा, जिला बालाघाट(म.प्र.)

4-सुशीलाबाई पिता बाडूसिंह, उम्र 32 वर्ष, जाति गोंड,
 निवासी-ग्राम करेण्डा तहसील परसवाड़ा, जिला बालाघाट(म.प्र.)

5-प्रेमकुंवरबाई पिता बाडूसिंह, उम्र 34 वर्ष, जाति गोंड,
 निवासी-ग्राम आमगांव, तहसील बैहर, जिला बालाघाट(म.प्र.)

6-कचरीबाई पति स्व. बाडूसिंह, उम्र 66 वर्ष, जाति गोंड,
 निवासी-ग्राम चीनी, तहसील परसवाड़ा, जिला बालाघाट(म.प्र.)

— — — — — आवेदक / वादीगण

बनाम

1-सुरेश पिता फल्लूराम, उम्र 48 वर्ष, जाति गोंड,
 निवासी-ग्राम चीनी, तहसील परसवाड़ा, जिला बालाघाट(म.प्र.)

2-महेश पिता फल्लूराम, उम्र 54 वर्ष, जाति गोंड,
 निवासी-ग्राम चीनी, तहसील परसवाड़ा, जिला बालाघाट(म.प्र.)

3-भददोबाई पति स्व. गणेश, उम्र 46 वर्ष, जाति गोंड,
 निवासी-ग्राम चीनी, तहसील परसवाड़ा, जिला बालाघाट(म.प्र.)

4-छोटेलाल पिता बकेसिंह, उम्र 32 वर्ष, जाति गोंड,
 निवासी-ग्राम चीनी, तहसील परसवाड़ा, जिला बालाघाट(म.प्र.)

5-बबू उर्फ कपूरचन्द पिता बकेसिंह, उम्र 28 वर्ष, जाति गोंड,
 निवासी-ग्राम चीनी, तहसील परसवाड़ा, जिला बालाघाट(म.प्र.)

6-शांतिबाई पति स्व. बकेसिंह, उम्र 52 वर्ष, जाति गोंड,
 निवासी-ग्राम चीनी, तहसील परसवाड़ा, जिला बालाघाट(म.प्र.)

7-पुरन्तीबाई पति स्व. अतरसिंह, उम्र 52 वर्ष, जाति गोंड,
निवासी-ग्राम लच्छीटोला, तहसील परसवाड़ा, जिला बालाघाट(म.प्र.)

8-नन्दलाल पिता अतरसिंह, उम्र 50 वर्ष, जाति गोंड,
निवासी-ग्राम चीनी, तहसील परसवाड़ा, जिला बालाघाट(म.प्र.)

9-सन्तलाल पिता अतरसिंह, उम्र 40 वर्ष, जाति गोंड,
निवासी-ग्राम चीनी, तहसील परसवाड़ा, जिला बालाघाट(म.प्र.)

10-मेहतलाल पिता अतरसिंह, जाति गोंड,
निवासी-ग्राम चीनी, तहसील परसवाड़ा, जिला बालाघाट(म.प्र.)

11-कमलाबाई पिता अतरसिंह, जाति गोंड,
निवासी-ग्राम चीनी, तहसील परसवाड़ा, जिला बालाघाट(म.प्र.)

12-यशवन्त पिता होलूसिंह, जाति गोंड,
निवासी-ग्राम चीनी, तहसील परसवाड़ा, जिला बालाघाट(म.प्र.)

13-अर्जुन पिता होलूसिंह, जाति गोंड,
निवासी-ग्राम चीनी, तहसील परसवाड़ा, जिला बालाघाट(म.प्र.)

14-सोमाजी पिता हारेलाल, जाति गोंड,
निवासी-ग्राम चीनी, तहसील परसवाड़ा, जिला बालाघाट(म.प्र.)

15-रमेश पिता झाडूसिंह, जाति गोंड,
निवासी-ग्राम चीनी, तहसील परसवाड़ा, जिला बालाघाट(म.प्र.)

16-बृजलाल पिता झाडूसिंह, जाति गोंड,
निवासी-ग्राम चीनी, तहसील परसवाड़ा, जिला बालाघाट(म.प्र.)

17-सूरज पिता झाडूसिंह, जाति गोंड,
निवासी-ग्राम चीनी, तहसील परसवाड़ा, जिला बालाघाट(म.प्र.)

18-बीजोबाई पिता झाडूसिंह, जाति गोंड,
निवासी-ग्राम चीनी, तहसील परसवाड़ा, जिला बालाघाट(म.प्र.)

19-विराजोबाई पिता झाडूसिंह, जाति गोंड,
निवासी-ग्राम चीनी, तहसील परसवाड़ा, जिला बालाघाट(म.प्र.)

20-सुखचन्द पिता झाडूसिंह, जाति गोंड,
निवासी-ग्राम चीनी, तहसील परसवाड़ा, जिला बालाघाट(म.प्र.)

21—म.प्र. शासन तर्फे कलेक्टर महोदय,
तहसील व जिला बालाघाट(म.प्र.)

— — — — — अनावेदकगण/प्रतिवादीगण

1—वादीगण की ओर से श्री पी.एन.शुक्ला अधिवक्ता।

2—प्रतिवादी क्रमांक—1,2,4,5,6,7,9,10,12,14 द्वारा श्री आर.बी.पाठक अधिवक्ता।

3—प्रतिवादी क्रमांक—3,8,11,13,15 से 21 एकपक्षीय।

आदेश

दिनांक—06/08/2014 को पारित

1— इस आदेश के द्वारा वादीगण की ओर से प्रस्तुत आवेदनपत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 1, 2 व्यवहार प्रक्रिया संहिता (आई.ए.नंबर 1) का निराकरण किया जा रहा है।

2— प्रकरण में महत्वपूर्ण स्वीकृत तथ्य यह है कि वादीगण एवं प्रतिवादी क्रमांक—1 से 20 एक ही खानदान एवं परिवार के व्यक्ति हैं। उभयपक्ष के मध्य मौजा चीनी, प.ह.नं. 7, रा.नि.मं. व तहसील परसवाड़ा, जिला बालाघाट स्थित खसरा नम्बर 14, रकबा 4.34 एकड़ भूमि विवादित है।

3— आवेदक/वादीगण का आवेदन पत्र संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी क्रमांक—1 से 5 के पिता व वादी क्रमांक—6 के पति बाडूसिंह एवं प्रतिवादी क्रमांक—15 से 20 के पिता झाडूसिंह, प्रतिवादी क्रमांक—1 व 2 के पिता एवं प्रतिवादी क्रमांक—3 के ससुर फल्लूराम से विवादित भूमि में से 0.80 एकड़ भूमि कय की गई थी। इसी प्रकार बाडूसिंह ने बिछलाल से विवादित भूमि में से 1 एकड़ भूमि कय की थी। उक्त भूमि कय करने के पश्चात् बाडूसिंह एवं झाडूसिंह के मध्य पैसे के लेनदेन को लेकर विवाद हो गया, जिस पर बाडूसिंह ने विवादित भूमि की 0.80 एकड़ भूमि पर झाडूसिंह के स्वत्व को चुनौती देते हुए उसे बेदखल कर दिया। वादी क्रमांक—1 के द्वारा प्रतिवादीगण की ओर से विवादित भूमि पर कब्जा करने की धमकी दिये जाने पर धारा—145 द0प्र0सं0 की कार्यवाही अनुविभागीय अधिकारी बैहर के समक्ष की गई, जिसमें आदेश पारित कर प्रतिवादीगण को निषेधित किया गया है। प्रतिवादीगण ने दिनांक—23.06.1994 को विवादित भूमि का कपट पूर्वक कर संशोधन पंजी में नाम दर्ज करा लिया, किन्तु विवादित भूमि के 1.80 एकड़ भूमि पर वादीगण का ही निरंतर 45 साल से बे—रोकटोक

प्रतिवादीगण की जानकारी में कब्जा चला आ रहा है। इस प्रकार विरोधी आधिपत्य के आधार पर विवादित भूमि के 1.80 एकड़ भूमि पर वादीगण का स्वत्व है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के आधिपत्य में हस्तक्षेप किया जा रहा है, अतएव उन्हें अस्थायी निषेधाज्ञा के माध्यम से रोका जावे।

4— प्रतिवादी क्रमांक—1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 14 ने आवेदन के जवाब में आवेदन पत्र के अभिवचन से इंकार करते हुए व्यक्त किया है कि उभयपक्ष के मध्य विवादित भूमि का विभाजन हो चुका है, जिसके पश्चात् सभी अंशधारी अपने अंश पर विभाजन अनुसार शांतिपूर्वक काबिज काश्त है। सभी खातेदारों की सहमति से संशोधन पंजी क्रमांक—45, दिनांक—23.06.1994 के अंतर्गत खाता अलग-अलग किया जाकर खातेदारों का नाम दर्ज किया गया था। अतएव वास्तविक भूमि स्वामी के विरुद्ध निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। इस कारण आवेदन पत्र निरस्त किया जावे।

5— प्रकरण में प्रतिवादी क्रमांक—3, 8, 11, 13, 15 से 21 एकपक्षीय है तथा उनके द्वारा आवेदन पत्र का जवाब पेश नहीं किया गया है।

6— **आवेदन के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय बिन्दु हैं:-**

- 1— क्या प्रथम दृष्टया मामला आवेदक/वादीगण के पक्ष में है?
- 2— क्या सुविधा का संतुलन आवेदक/वादीगण के पक्ष में है?
- 3— क्या आवेदक/वादीगण के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी न किये जाने से उसे अपूर्णीय क्षति होना संभावित है।

: : विचारणीय बिन्दुओं का निराकरण : :

7— आवेदक/वादीगण ने अपने पक्ष समर्थन में विवादित भूमि से संबंधित अपंजीकृत फरोखतनामा पेश किया गया है, इसके अलावा एस.डी.एम.बैहर के द्वारा पारित आदेश दिनांक—21.07.2012 की फोटोप्रति पेश की गई है, जिसमें वादी क्रमांक—1 के पक्ष में विवादित भूमि पर उसका कब्जा होने के आधार पर प्रतिवादीगण को दखल देने से निषेधित किया जाना उल्लेखित है। अधिकार अभिलेख वर्ष 1962—63 एवं 1975 की संशोधन पंजी की फोटोप्रति के अवलोकन से यह परिलक्षित होता है कि विवादित भूमि उभयपक्ष के पूर्वजों के नाम पर शामिल—सरिक रूप से दर्ज थी। वादीगण ने जिस

संशोधन पंजी को चुनौती दी है उसका दस्तावेज प्रकरण में पेश नहीं किया गया है। वादीगण के द्वारा प्रस्तुत अपंजीकृत विक्रय पत्र से प्रथम दृष्ट्या वादीगण को कोई हक प्राप्त होना प्रकट नहीं होता है।

8— आवेदन के समर्थन में शपथकर्ता राजेश का शपथ पत्र पेश है तथा प्रतिवादी के जवाब के समर्थन में शपथकर्ता भागचंद का शपथ पत्र पेश किया गया है, जिन्होंने एक-दूसरे के विरुद्ध व अपने पक्ष समर्थन में कथन किये हैं। प्रकरण में महत्वपूर्ण विवादक का निराकरण साक्ष्य के उपरांत गुण-दोषों के आधार पर किया जा सकेगा। प्रथम दृष्ट्या वादीगण का विवादित भूमि पर विरोधी आधिपत्य के आधार पर स्वत्व व हक प्राप्त होना परिलक्षित नहीं होता है।

9— प्रकरण में वादीगण ने विवादित भूमि पर विरोधी आधिपत्य के आधार पर स्वत्व का अनुतोष चाहा है। न्यायदृष्टान्त **नगरपालिका परिषद मलाजखण्ड विरुद्ध हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड 2009 (2) एम.पी.एल.जे. 222** में पारित माननीय न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त इस प्रकरण के तथ्य व परिस्थिति से भिन्न होने के कारण लागू नहीं होते। न्यायदृष्टान्त **चन्द्रिका प्रसाद तिवारी विरुद्ध स्टेट ऑफ एम.पी. 2011 (3) एम.पी.एच.टी. 471** में माननीय न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि ऐसी प्रविष्टियां जो मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता में किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के बगैर की जाती हैं, के आधार पर यह निष्कर्ष कि वह भूमि के आधिपत्य में है और उसने अपना स्वत्व प्रतिकूल आधिपत्य के आधार पर अर्जित कर लिया है, नहीं निकाला जा सकता। उक्त विधिक स्थिति एवं प्रस्तुत तथ्य के आलोक में वादीगण को विरोधी आधिपत्य पर विवादित भूमि पर स्वत्व प्राप्त होने का निराकरण प्रकरण में साक्ष्य के उपरांत गुण-दोषों पर किया जाना संभव है। इस स्तर पर वादीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य से वादीगण को विवादित भूमि पर लम्बे समय से, शांतिपूर्वक, लगातार व निर्बाध रूप से काबिज होने की उपधारणा नहीं की जा सकती। वैसे भी विवादित भूमि के 1.80 एकड़ भूमि के कथित विभाजन के विपरीत वादीगण ने उस पर आधिपत्य होने के अभिवचन किये हैं, जिस कारण प्रतिवादीगण की हैसियत सहस्वामी की मानी जा सकती है तथा विधिक रूप से सहस्वामी के विरुद्ध वादीगण को निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। वादीगण का विवादित भूमि पर विधिपूर्ण व सुस्थापित आधिपत्य में होने का तथ्य प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित नहीं है। इस प्रकार वादीगण के पक्ष में प्रथम दृष्ट्या मामला नहीं बनता है।

10— वादीगण के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है, इस कारण तुलनात्मक रूप से सुविधा का संतुलन वादीगण के पक्ष में होना प्रगट नहीं होता है। इसके अलावा वादीगण को उनके भू-भाग पर वंचित होने की दशा में वादीगण को अपूर्णीय क्षति की संभावना प्रकट नहीं होती। अतएव विचारणीय बिन्दु क्रमांक-1 से 3 वादीगण के पक्ष में नहीं पाये जाते हैं।

11— उपरोक्त सम्पूर्ण कारणों से आवेदक/वादीगण का आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 व्य.प्र.सं. (आई.ए.नं. 1) निरस्त किया जाता है।

आदेश खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर पारित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली)

व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, बैहर के
अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2,
बैहर

(सिराज अली)

व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, बैहर के
अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2,
बैहर

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)